क्रम-संख्या--369

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 3 जुलाई, 1979

आषाढ़ 12, 1901 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1665/सत्रह-वि0-1--62-78

लखनऊ, 3 जुलाई, 1979

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 1978 पर दिनांक 29 जून 1979 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1979 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) अधिनियम, 1979

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1979)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ ।]

उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) अधिनियम, 1979 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19 सन 1973 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,—

(एक) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्,—

"(क) 'कृषि' और 'कृषि प्रयोजन' में भूमि को खेती योग्य बनाना, खेती करना, भूमि सुधार (जिसके अन्तर्गत सिंचाई के स्रोतों का विकास करना भी है), फसलों को उगाना और उनकी कटाई करना, उद्यान कृषि, वन विज्ञान, पशुप्रजनन, पशुपालन, दुग्ध उद्योग, शूकर पालन, कुक्कुट पालन, बीज-कृषि, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, और ऐसे अन्य क्रिया-कलाप सम्मिलित है जिन्हें सामान्यतः उपर्युक्त क्रिया-कलापों में से किसी में लगे हुए व्यक्तियों द्वारा किया जाता हो, और इनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :

(1) कृषि उत्पादन का क्रय-विक्रय, उनका संग्रह और परिवहन,

(2) ऐसे किसी भी क्रिया-कलाप से संबंधित उपकरणों और मशीन का अर्जन,

(3) गोबर गैस संयंत्रों का अर्जन, और

(4) कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना और उनका अनुरक्षण।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए पद "कृषि सेवा केन्द्रों" का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान या कर्मशाला से है जहां उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रशिक्षित उद्यमी बीज, उर्वरक कीटनाशी, नाशि-कीटमार या कृषि उपयोग के अन्य माल का विक्रय या किराये पर ट्रैक्टर या अन्य मशीनी प्रक्रिया द्वारा अन्य व्यक्तियों द्वारा धृत भूमि के संबंध में कृषि क्रिया या कृषि उपकरणों की मरम्मत का कार्य करते हैं।"

(दो) खण्ड (ग) में, उप खण्ड (8) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्—

"(8 क) रीजनल रूरल बैंक ऐक्ट, 1976 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित किसी रीजनल रूरल बैंक ;"।

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, शब्द "सीरदारों", और शब्द "सीरदार", जहां कहीं भी आये हों, निकाल दिये जायेंगे।

अनुसूची का संशोधन

4—मूल अधिनियम की अनुसूची के तीसरे पैरा के उपपैरा (2) में शब्द "सीरदार" निकाल दिया जायेगा।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव।

No. 1665/XVII-V-1—62-78

Dated Lucknow, July 3, 1979

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Udhar (Sanshodhan) Adhiniyam, 1979 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 25 of 1979) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on June 29, 1979 :

THE UTTAR PRADESH AGRICULTURAL CREDIT (AMENDMENT) ACT, 1979

[U. P. ACT NO. 25 OF 1979]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Agricultural Credit Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Agricultural Credit (Amendment) Act, 1979.

Amendment of section 2 of U.P. Act 19 of 1973.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Agricultural Credit Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act,—

(i) *for* clause (*a*), the following clause shall be *substituted*, namely :

"(*a*) 'agriculture' and 'agricultural purpose' includes making land fit for cultivation, cultivation of land, improvement of land (including development of sources of irrigation), raising and harvesting of crops, horticulture, forestry, cattle breeding, animal husbandry, dairy farming, piggery, poultry farming, seed farming, pisciculture, apiculture, sericulture and such other activities as are generally carried on by persons engaged in any of the aforementioned activities and also includes—

(i) marketing of agricultural products, their storage and transport ;

(ii) the acquisition of implements and machinery in connection with any such activity ;

(iii) the acquisition of gobar-gas plants ; and

(iv) the establishment and maintenance of agro-service centres;

Explanation : For the purposes of his clause, the expression "agro-service centre" means a place or a shop where the entreprenures, trained by the U. P. State Agro-Industrial Corporation Limited, carry on the sale of seeds, fertilizers, insectisides, pesticides, or other goods of agricultural use or agricultural operations in respect or land held by others by tractors or other mechanished process on hire or repair of the agricultural implements;" ;

(ii) in clause (*c*), *after* sub-clause (viii), the following sub-clause shall be *inserted*, namely —

"(viii-*a*) a regional rural bank established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976."

Amendment of section 3.

3. In section 3 of the principal Act, the word "sirdar", wherever occurring, shall be *omitted*.

Amendment of the Schedule.

4. In the Schedule to the principal Act, in sub-para (2) of the third paragraph, the word "sirdar" shall be *omitted*.

By order,

R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए० पी० 97 सा० (विधा०)—3-7-79—(1085)—1979—700 (सेक०)।